भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *429
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

15वें वित्त आयोग से संबंधित अनुदान

†*429. श्री ए. राजाः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15वें वित्त आयोग ने देश में ग्राम पंचायतों को धनराशि देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) को विशेषकर तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या जीएसटी और अन्य उपकरों के कारण स्थानीय निकायों को होने वाली राजस्व की हानि के कारण एलएसजी को अतिरिक्त धनराशि या अनुदान प्रदान किए जाने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

'15वें वित्त आयोग से संबंधित अनुदान' के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 429 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) जी हाँ, महोदय। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 28 राज्यों में तीनों स्तरों की पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों को अंतरिम अवधि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-26 के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए निधियों के आवंटन के मानदंड में राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण जनसंख्या (जनगणना-2011) पर 90 प्रतिशत के भारांक और राज्यों के क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत के भारांक पर होता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पंचायतों/पारंपरिक निकायों को हस्तांतरित करने के लिए जारी किया जाता है। जिसे राज्य सरकार के द्वारा 10 कार्य दिवसों के भीतर हस्तांतरित करना होता है। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होने पर राज्य सरकार को पिछले वर्ष के लिए बाजार उधार/राज्य विकास ऋण पर ब्याज की औसत प्रभावी दर के अनुसार देरी की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान हस्तांतरित करना आवश्यक है।पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राज्य सरकारों को 10 कार्य दिवसों के भीतर पंचायतों/पारंपरिक निकायों को हस्तांतरित करने के लिए जारी कर दिए जाते हैं।

सभी स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण राज्य सरकारों द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और निम्नलिखित बैंडों के अनुरूप है;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

जिन राज्यों में केवल ग्राम और जिला पंचायतों वाली दो स्तरीय प्रणाली है, वहाँ आवंटन निम्नलिखित श्रेणी में है ;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	15%
अधिकतम	85%	30%

ग्राम पंचायतों/समकक्ष को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का राज्यवार और वर्षवार आवंटन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा दिया जाने वाला अनुदान 13वें वित्त आयोग से 14वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग तक लगातार बढ़ रहा है। 13वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2010-15) के तहत आवंटन 64,408 करोड़ रुपये था और 14वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2015-2020) के तहत 2,00,292.20 करोड़ रुपये था। 15वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2021-26) के तहत आवंटन 2,36,805 करोड़ रुपये है जो 13वें वित्त आयोग के आवंटन का लगभग 4 गुना है।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों को राज्यवार आवंटित और जारी की गई धनराशि **अनुबंध-II** में दी गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार और राज्य वित्त आयोग के तहत राज्य सरकार द्वारा क्रमशः तमिलनाडु में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को कुल निधि 13303.50 करोड़ रुपये और 28021.21 करोड़ रुपये

प्रदान किए गए हैं। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (आरएलएसजी) को प्रदान की गई कुल धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	पंद्रहवां वित्त आयोग (सभी स्तर)		राज्य वित्त आयोग (सभी स्तर)	
		आवटन	जारी	आवटन	जारी
1.	2020-21	3607.00	3607.00	4728.00	4728.00
2.	2021-22	2666.00	2666.00	5080.86	5080.86
3.	2022-23	2761.00	2761.00	5092.17	5092.17
4.	2023-24	2791.00	2791.00	6217.58	6217.58
5.	2024-25	2957.00	1478.50	6902.60	6902.60
6.	2025-26	2884.00	-	7904.60	-
	कुल	17666.00	13303.50	35925.81	28021.21

(घ) से (च) वित्त मंत्रालय वित्त आयोग अवार्डस के तहत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (आरएलएसजी) के लिए राज्यों को अनुदान जारी करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के बंटवारे के साथ-साथ अनुदानों की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है, करों के बंटवारे में जीएसटी शामिल है और उपकर शामिल नहीं है। स्थानीय स्वशासन को आवंटित किए जाने वाले अनुदान की मात्रा और इसके लिए विचार किए जाने वाले कारक वित्त आयोग का विशेषाधिकार है।

***

अनुबंध-I

15वें वित्त आयोग से संबंधित अनुदान के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 429 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ग्राम पंचायतों/समकक्ष को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का वर्षवार आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1837.50	1357.30	1407.00	1421.70	1506.40	1469.30	8999.20
2	अरूणाचल प्रदेश	161.70	119.00	123.90	125.30	132.30	129.50	791.70
3	असम	1122.80	830.20	859.60	868.70	920.50	898.10	5499.90
4	बिहार	3512.60	2596.30	2689.40	2718.80	2879.80	2808.40	17205.30
5	छत्तीसगढ़	1090.50	806.25	835.50	843.75	894.00	872.25	5342.25
6	गोवा	63.75	46.75	48.45	49.30	52.70	51.85	312.80
7	गुजरात	2236.50	1653.40	1712.20	1731.10	1833.30	1788.50	10955.00
8	हरियाणा	948.00	701.25	726.00	734.25	777.00	758.25	4644.75
9	हिमाचल प्रदेश	300.30	221.90	230.30	232.40	246.40	240.10	1471.40
10	झारखण्ड	1266.75	936.75	969.75	980.25	1038.75	1013.25	6205.50
11	कर्नाटक	2734.45	2020.45	2093.55	2116.50	2241.45	2186.20	13392.60
12	केरल	1221.00	902.25	934.50	945.00	1000.50	975.75	5979.00
13	मध्य प्रदेश	3386.40	2502.40	2592.50	2620.55	2775.25	2707.25	16584.35
14	महाराष्ट्र	4661.60	3445.60	3568.80	3608.00	3820.80	3727.20	22832.00
15	मणिपुर	123.90	91.70	94.50	95.90	101.50	99.40	606.90
16	मेघालय	182.00	135.00	140.00	141.00	149.00	146.00	893.00
17	मिजोरम	93.00	69.00	71.00	72.00	76.00	74.00	455.00
18	नागालैंड	125.00	92.00	96.00	97.00	102.00	99.00	611.00
19	ओड़िशा	1580.60	1168.30	1209.60	1222.90	1295.70	1263.50	7740.60
20	पंजाब	971.60	718.20	743.40	751.80	796.60	777.00	4758.60
21	राजस्थान	2896.50	2140.50	2217.75	2241.75	2374.50	2315.25	14186.25
22	सिक्किम	35.70	26.35	28.05	28.05	29.75	28.05	175.95
23	तमिलनाडु	2885.60	2132.80	2208.80	2232.80	2365.60	2307.20	14132.80
24	तेलंगाना	1569.95	1160.25	1202.75	1215.50	1286.90	1255.45	7690.80
25	त्रिपुरा	133.70	98.70	102.90	103.60	109.90	107.10	655.90
26	उत्तर प्रदेश	6826.40	5045.60	5226.20	5282.90	5595.80	5457.90	33434.80
27	उत्तराखण्ड	430.50	318.75	330.00	333.75	353.25	343.50	2109.75
28	पश्चिम बंगाल	3088.40	2282.70	2364.60	2390.50	2531.90	2469.60	15127.70
	कुल	**45486.70**	**33619.65**	**34827.00**	**35205.05**	**37287.55**	**36368.85**	**222794.80**

अनुबंध-II

15वें वित्त आयोग से संबंधित अनुदान के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 429 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के आवंटित और जारी राशि की स्थिति (दिनांक 27-03-2025 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

Sl. No.	States	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	1976.75	2031.00	1997.45	2152.00	2109.97
2	अरूणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	170.00	177.00	0.00	179.00	0.00	189.00	0.00
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00	0.00
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3855.33	4114.00	4109.01
5	छत्तीसगढ़	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	1185.25
6	गोवा	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00	48.46	58.00	8.62	62.00	0.00
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	2473.00	2619.00	0.00
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	967.30	979.00	953.59	1036.00	1012.51
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	318.04	352.00	229.19
10	झारखण्ड	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	1307.00	1385.00	0.00
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00	2133.24
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	1334.00
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	2819.24	3265.00	651.78
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	4267.16	4461.00	3696.71	4510.00	3629.21	4776.00	3169.72
15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00	0.00	137.00	0.00	145.00	0.00
16	मेघालय	182.00	182.00	135.00	67.50	140.00	0.00	141.00	0.00	149.00	0.00
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	69.00	71.00	71.00	72.00	0.00	76.00	0.00
18	नागालैंड	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00	19.20	97.00	0.00	102.00	0.00
19	ओड़िशा	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	1851.00
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	1058.35	1138.00	562.93
21	राजस्थान	3862.00	3862.0	2854.00	2854.0	2957.00	2955.3	2989.00	2847.9	3166.00	2803.6

			0		0		4		6		9
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	32.34
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00	2791.00	2791.00	2957.00	1478.50
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	1424.18	1514.00	0.00
25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	148.00	157.00	156.31
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	7994.00
27	उत्तराखण्ड	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	444.13	471.00	234.91
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	3415.00	3617.00	3472.22
	कुल	**60750.00**	**60750.00**	**44901.00**	**44699.22**	**46513.00**	**44805.52**	**47018.00**	**44529.58**	**49800.00**	**34520.57**

***